सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 50/19 **निर्णय दिनांकः 28–06–2019**

1. जगदीश प्रसाद पुत्र श्री रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी बुटिया तहसील व जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 25–06–1999
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–
1. श्री विजय कुमार भादाणी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 25–06–1999 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने विशेष आवंटन हेतु तहसील पूगल के चक 3 एनजीएम का मुरब्बा नम्बर 69/24 के आवंटन हेतु आवेदन किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र बिना नोटिस व सूचना के खारिज किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल में चक 3 एनजीएम के मुरब्बा नम्बर 69/24 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के साथ अपीलांट द्वारा तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा तत्पश्चात् अपीलांट को बिना सूचना दिये प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि प्रार्थी द्वारा 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाये जाने कारण आवंटन की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अतः प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज किया जाता है।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही यह कथन किया गया था कि आवेदित रकबा आज दिनांक को भी शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट आज दिनांक को भी वादगत् भूमि के आवंटन हेतु राशि मय ब्याज भुगतान करने को तैयार है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 25—06—1999 के विरूद्व अपील दिनांक 11—03—19 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई

संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र उपस्थित नहीं आने के कारण व 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाये जाने के कारण खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 25—06—1999 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 11—03—2019 को पेश की गई है। आवंटन अधिकारियों का बार—बार क्षेत्राधिकार बदलने के कारण पत्रावलियॉ इधर—उधर होती रही। कालान्तर में समस्त रिकार्ड राजस्व को हस्तान्तरित होकर जिला मुख्यालय पर जमा हुआ। गांव के आम काश्तकार के लिये संभव नहीं है कि पत्रावली के दैनिक मूवमेंट की पीछा कर सके। आवेदन पत्र खारिज करने से पूर्व आवेदक को सूचना देने का कोई सबूत पत्रावली में नहीं है। स्पष्ट है कि निर्णय अपीलांट की पीठ पीछे किया गया है। ऐसी स्थिति में असाधारण विलम्ब संभावित है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

अपीलांट/आवेदक द्वारा चक 3 एनजीएम के मुरब्बा नम्बर 69/24 के आवंटन हेतु आवेदन किया गया जिसे रिकार्ड पर लेकर फोटो फार्म जारी किया गया। तत्पश्चात् आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 25—06—1999 को अचानक अपीलांट की आवेदन इस आधार पर

खारिज कर दिया गया कि निर्धारित 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाई गई। इस बाबत् दिनांक 26—05—1999 को नोटिस जारी करने का उल्लेख है, परन्तु नोटिस आवेदक को प्राप्त होने का सबूत पत्रावली में नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक साईक्लोस्टाईल आदेश के तहत अपीलांट का आवेदन खारिज किया गया है। अपीलांट ने राजस्व मण्डल द्वारा निर्णित प्रकरण हंसराज बनाम सरकार (आरआरटी 2016 पेज 1339) में ऐसे unreasoned and non speaking order को विधि सम्मत आदेश की श्रेणी में नहीं माना है।

इसी प्रकार के एक मामलें रामीदेवी बनाम सरकार (आरआरटी 2014—15 पेज 443) में प्रार्थिया को 35 प्रतिशत राशि जमा करवाने के नोटिस की तामीली नहीं होने तथा आदेश की जानकारी के बाद उक्त राशि जमा करवाने की अण्डरटेकिंग देने पर आवंटन बहाल करने के आदेश दिये गये। आवेदित भूमि अभी तक राज्य सरकार के खाते में दर्ज है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट् की अपील स्वीकार की सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 25—06—1999 निरस्त किया जाता है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 28.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर